झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

Jharkhand Tourism Development Corporation
JTDC
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची–834001

पंजीकरण सं०–U63040JH2002PTC126
दूरभाष सं०–0651-2331828
Email – jtdcltd@gmail. com

पत्रांक : 266 / 2016
दिनांक :14.03.2016

इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड निम्नलिखित 24 (चौबीस) परिसम्पत्तियों को समुचित रूप से विकसित कर संचालन एवं प्रबंधन हेतु निबंधित ट्रस्ट, सोसाईटी, धारा 25 / 8 की कम्पनी (N.G.O.) तथा स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) जो निम्नांकित अर्हता पूर्ण करते हो से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है।

क्र० सं०	परिसम्पत्ति का नाम	जिला	आधार राशि	तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का निर्धारित स्थान एवं तिथि
1	पर्यटक भवन, रामरेखाधाम	सिमडेगा	75,000/-	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची दिनांक : 08.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
2	पर्यटक भवन, गुमला	गुमला	1,50,000/-	
3	रेस्टूरेन्ट सह हॉल, पालकोट	गुमला	60,000/-	
4	मार्गीय सुविधा केन्द्र, मंझाटोली	गुमला	75,000/-	
5	पर्यटक सूचना केन्द्र, मैकलुस्कीगंज	राँची	75,000/-	
6	संस्कार भवन, अमरेश्वरधाम	खूँटी	60,000/-	
7	मार्गीय सुविधा केन्द्र, हेसाडीह	पं० सिंहभूम	60,000/-	
8	पर्यटक भवन, बारीडीह	जमशेदपुर	1,00,000/-	टूरिस्ट कम्पलेक्स, साकचीसराय, जमशेदपुर दिनांक : 12.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
9	बाल उद्यान, कुदार साई, सरायकेला खरसावां	सरायकेला खरसावां	50,000/-	
10	सीतापुर डैम के पास कियोस्क तथा चिल्ड्रेन प्ले जोन, सरायकेला खरसावां	सरायकेला खरसावां	25,000/-	
11	चिल्ड्रेन पार्क, सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	पूर्वी सिंहभूम	25,000/-	
12	बहुउपयोगी भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2,00,000/-	होटल नटराज विहार, देवघर दिनांक : 18.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
13	बहुउपयोगी भवन, शिवपुर, रत्नेश्वरधाम	गोड्डा	1,00,000/-	
14	बहुउपयोगी भवन, धमसा मंदिर	गोड्डा	2,00,000/-	
15	बहुउपयोगी भवन, बुद्धई मंदिर, मधुपुर	देवघर	2,00,000/-	
16	बहुउपयोगी भवन, पथरौल मंदिर, मधुपुर	देवघर	60,000/-	
17	पर्यटक भवन, मलुटी	दुमका	75,000/-	
18	मार्गीय सुविधा केन्द्र, महेशपुर	पाकुड़	60,000/-	
19	पर्यटक सूचना केन्द्र, राजमहल	साहिबगंज	1,00,000/-	
20	संस्कार भवन, विन्दुबासिनी मंदिर, बरहरवा	साहिबगंज	60,000/-	

<table>
<tr><td>21</td><td>विवाह मंडप एवं टूरिस्ट लॉज, चौगनाधाम, छत्तरपुर</td><td>पलामू</td><td>60,000/-</td><td rowspan="2">होटल वन विहार, बेतला
दिनांक : 25.04.2016
प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से</td></tr>
<tr><td>22</td><td>पर्यटक भवन, गोदरमाना</td><td>गढ़वा</td><td>60,000/-</td></tr>
<tr><td>23</td><td>बहुउपयोगी भवन, हरिहरधाम</td><td>गिरिडीह</td><td>1,00,000/-</td><td rowspan="2">होटल अरण्य विहार, हजारीबाग
दिनांक : 20.04.2016
प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से</td></tr>
<tr><td>24</td><td>धर्मशाला, पर्यटक केन्द्र, रसोई घर धोरीमाता मरियम, फूसरो</td><td>बोकारो</td><td>1,00,000/-</td></tr>
</table>

अर्हता :–

1. N.G.O./S.H.G. कम से कम विगत पाँच वर्षों से कार्य कर रहे हों।
2. विगत पाँच वर्ष में कम से कम तीन वर्ष सरकारी कार्य का निष्पादन किए हों एवं सरकारी राशि का सफलता पूर्वक उपयोग किए हों, जिसमें पिछले एक वर्ष अनिवार्य है।
3. N.G.O./S.H.G. ने कम से कम विगत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरणी तैयार किया हो जिसका चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित की गई प्रति संलग्न करना होगा।

इच्छुक N.G.O./S.H.G. इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रारूप झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची से दिनांक 16.03.2016 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 06.04.2016 अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय अवधि में रू० 500.00 (पाँच सौ) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/tourism से डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किए गए प्रपत्र को जमा करते समय उसके साथ 500.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति सम्पूर्ण प्रपत्रों सहित दिनांक 07.04.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक निगम कार्यालय (झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, बिरसा विहार कम्पलेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा की जा सकती है।

प्रबंध निदेशक
झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची।

इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण प्रपत्र

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड निम्नलिखित 24 (चौबीस) परिसम्पत्तियों को समुचित रूप से विकसित कर संचालन एवं प्रबंधन हेतु निबंधित ट्रस्ट, सोसाईटी, धारा 25/8 की कम्पनी (N.G.O.) तथा स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) जो निम्नांकित अर्हता पूर्ण करते हो से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है।

1. परिसम्पत्तियों का विवरण तथा न्यूनतम आधार राशि

क्र० सं०	परिसम्पत्ति का नाम	जिला	आधार राशि	**तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का निर्धारित स्थान एवं तिथि**
1	पर्यटक भवन, रामरेखाधाम	सिमडेगा	75,000/-	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची दिनांक : 08.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
2	पर्यटक भवन, गुमला	गुमला	1,50,000/-	
3	रेस्टूरेन्ट सह हॉल, पालकोट	गुमला	60,000/-	
4	मार्गीय सुविधा केन्द्र, मंझाटोली	गुमला	75,000/-	
5	पर्यटक सूचना केन्द्र, मैकलुस्कीगंज	राँची	75,000/-	
6	संस्कार भवन, अमरेश्वरधाम	खूँटी	60,000/-	
7	मार्गीय सुविधा केन्द्र, हेसाडीह	पं० सिंहभूम	60,000/-	
8	पर्यटक भवन, बारीडीह	जमशेदपुर	1,00,000/-	टूरिस्ट कम्पलेक्स, साकचीसराय, जमशेदपुर दिनांक : 12.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
9	बाल उद्यान, कुदार साई, सरायकेला खरसावां	सरायकेला खरसावां	50,000/-	
10	सीतापुर डैम के पास कियोस्क तथा चिल्ड्रेन प्ले जोन, सरायकेला खरसावां	सरायकेला खरसावां	25,000/-	
11	चिल्ड्रेन पार्क, सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	पूर्वी सिंहभूम	25,000/-	
12	बहुउपयोगी भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2,00,000/-	होटल नटराज विहार, देवघर दिनांक : 18.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
13	बहुउपयोगी भवन, शिवपुर, रत्नेश्वरधाम	गोड्डा	1,00,000/-	
14	बहुउपयोगी भवन, धमसा मंदिर	गोड्डा	2,00,000/-	
15	बहुउपयोगी भवन, बुद्धई मंदिर, मधुपुर	देवघर	2,00,000/-	
16	बहुउपयोगी भवन, पथरौल मंदिर, मधुपुर	देवघर	60,000/-	
17	पर्यटक भवन, मलुटी	दुमका	75,000/-	
18	मार्गीय सुविधा केन्द्र, महेशपुर	पाकुड़	60,000/-	
19	पर्यटक सूचना केन्द्र, राजमहल	साहिबगंज	1,00,000/-	
20	संस्कार भवन, विन्दुबासिनी मंदिर, बरहरवा	साहिबगंज	60,000/-	
21	विवाह मंडप एवं टूरिस्ट लॉज, चौगनाधाम, छत्तरपुर	पलामू	60,000/-	होटल वन विहार, बेतला दिनांक : 25.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
22	पर्यटक भवन, गोदरमाना	गढ़वा	60,000/-	
23	बहुउपयोगी भवन, हरिहरधाम	गिरिडीह	1,00,000/-	होटल अरण्य विहार, हजारीबाग दिनांक : 20.04.2016 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से
24	धर्मशाला, पर्यटक केन्द्र, रसोई घर धोरीमाता मरियम, फूसरो	बोकारो	1,00,000/-	

2. उपर वर्णित परिसम्पत्तियाँ चयनित N.G.O./S.H.G. को उनके कार्य अनुभव एवं उनके द्वारा प्रदर्शित पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन जिसमें उनके द्वारा इच्छित परिसम्पत्ति का उपयोग, विकसित एवं संचालन करने की योजना प्रदर्शित हो के आधार पर चयन किया जायेगा।

3. परिसम्पत्तियों का आवंटन 5+5 (दस) वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में परिसम्पत्ति का उन्नयन, संचालन बिजली विपत्र, जलकर विपत्र इत्यादि का भुगतान चयनित Trust/Society N.G.O./S.H.G. द्वारा किया जायेगा।

4. तकनीकी आधार पर चयनित N.G.O./S.H.G. का ही पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन का निर्धारित अंक 50 होगा, जिसमें क्रम से उच्चतम अंक पाने वाले तीन N.G.O./S.H.G. का चयन होगा जिसका वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा। जिनका वार्षिक लाईसेंस फीस का वित्तीय प्रस्ताव अधिकाधिक होगा उन्हें सफल घोषित किया जायेगा। अधिकाधिक प्रस्ताव देने वाले के द्वारा निर्धारित समय तक एकरारनामा नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्थान पर आने वाले N.G.O./S.H.G. को एकरारनामा करने के लिए चयन किया जा सकता है।

5. एकरारनामा के तीन महीने के अन्दर आगामी वार्षिक लाईसेंस फीस निगम मुख्यालय में अग्रिम के रूप में जमा करना होगा। वार्षिक लाईसेंस फीस अन्य कर सहित देय होगा यथा सर्विस कर इत्यादि।

6. चयनित N.G.O./S.H.G. प्रथम वर्ष के लिए प्रस्तावित लाईसेंस फीस के बराबर राशि सिक्यूरिटी राशि के रूप में एकरारनामा करने के पूर्व निगम को डी०डी० (Demand Draft) के रूप में जमा करेंगे जो एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निगम के प्रति बकाये की राशि, यदि कोई हो तों उससे सामंजित कर शेष राशि वापस कर दिया जायेगा।

7. निर्धारित राशि पर प्रति दो वर्षों में 10% की वृद्धि होगी जो मूल राशि पर ही गणना की जायेगी।

8. प्रस्तावित उन्नयन कार्य का DPR एकरारनामें के 15 दिन के अन्दर निगम को अनुमोदन हेतु समर्पित करना होगा। DPR अनुमोदन के पश्चात् उन्नयन कार्य करना होगा।

9. प्रथम वर्ष का लाईसेंस फीस एकरारनामा के तीन महीने के पश्चात् प्रारंभ होगा। इस तीन महीने की अवधि में उन्नयन कार्य पूर्ण करना होगा।

10. चयनित N.G.O./S.H.G. को आवंटन के पंद्रह दिन के अन्दर निर्धारित सिक्यूरिटी राशि जमा कर संलग्न एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

11. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करने होंगे :–

    क. विस्तृत आवेदन जिसमें परिसम्पत्ति का उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छा की अभिव्यक्ति शामिल हों जिसमें इच्छित परिसम्पत्ति का नाम, स्थान का विवरण हो। एक संस्था द्वारा निगम की तीन से अधिक परिसम्पत्ति का संचालन नहीं किया जा सकता है।

    ख. N.G.O./S.H.G. के गठन से संबंधित दस्तावेज।

    ग. N.G.O./S.H.G. के तरफ से अधिकृत व्यक्ति का अधिकार प्रपत्र।

    घ. तीन वर्ष का आय–व्यय संबंधी विवरणी जो चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित हो।

    ङ. कार्य अनुभव का Notarized प्रति।

च. पैन कार्ड की छायाप्रति।

छ. पावर पोईण्ट प्रेजेंटेशन का स्वसत्यापित हार्ड कॉपी एवं एक प्रति सीडी में उपलब्ध कराना होगा।

12. इच्छा की अभिव्यक्ति दो लिफाफे में देना होगा। एक लिफाफे मे तकनीकि योग्यता संबंधी कागजात रखना होगा एवं उसे बन्द करके उस पर तकनीकि प्रस्ताव उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छा की अभिव्यक्ति "संबंधित परिसम्पत्ति" का नाम उद्धृत करना होगा। दूसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव उद्धृत होना चाहिए। ये दोनों लिफाफे एक ब्ड़े लिफाफे में बन्द होना चाहिए और उसके उपर उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छाा की अभिव्यक्ति (परिसम्पत्ति का नाम) लिखा होना चाहिए।

13. इच्छुक NGO/SHG अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति समस्त प्रपत्रों सहित निर्देशित लिफाफे में बंद करके स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय बिरसा विहार टूरिस्ट कम्पलेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची में दिनांक 07.04. 2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना होगा।

14. प्राप्त इच्छा कि अभिव्यक्ति का तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का कार्य विभिन्न परिसम्पत्तियों के निकटतम स्थान जो प्रपत्र में वर्णित है के स्थान पर निर्दिष्ट तिथि को प्रातः 11:00 बजे इच्छुक NGO/SHG के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जाएगा। NGO/SHG का सचिव या उनके द्वारा अभिप्रमाणित अधिकृत एक व्यक्ति तकनीकी सत्यापन, पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

15. चयनित NGO/SHG को मात्र 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट खर्च डी०डी० के रूप में एकरारनामे के पूर्व जमा करना होगा।

16. वर्णित परिसम्पत्तियों के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति तैयार करने एवं समर्पित करने में यदि कोई शंका हो तो jtdcltd@gmail.com पर E-mail कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा फोन नं०– 0651-2331828 से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

17. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति के आमंत्रण में वर्णित परिसम्पत्तियों का एवं वर्णित शर्त्तों में बदलाव कर सकता है, या इस आमंत्रण को पूर्णतया रद्द कर सकता है।

<u>अर्हता :–</u>

1. N.G.O./S.H.G. कम से कम विगत पाँच वर्षों से कार्य कर रहे हों।
2. विगत पाँच वर्ष में कम से कम तीन वर्ष सरकारी कार्य का निष्पादन किए हों एवं सरकारी राशि का सफलता पूर्वक उपयोग किए हों, जिसमें पिछले एक वर्ष अनिवार्य है।
3. N.G.O./S.H.G. ने कम से कम विगत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरणी तैयार किया हो जिसका चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित की गई प्रति संलग्न करना होगा।
4. निम्न अहर्ता रखने वाले N.G.O./S.H.G. को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

a) संबंधित जिले में N.G.O./S.H.G. को झारखण्ड सरकार के साथ कार्य करने का अनुभव हों।

b) ऐसी संस्थाएँ जो ISO 9000 से मान्यता प्राप्त हो।

c) PPP Mode में आतिथ्य (Hospitality) के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

d) अन्य राज्य में आतिथ्य (Hospitality) के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

इच्छुक N.G.O./S.H.G. इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रारूप झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची से दिनांक 16.03.2016 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 06.04.2016 अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय अवधि में रू० 500.00 (पाँच सौ) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/tourism से डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किए गए प्रपत्र को जमा करते समय उसके साथ 500.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति सम्पूर्ण प्रपत्रों सहित दिनांक 07.04.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक निगम कार्यालय (झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, बिरसा विहार कम्पलेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा की जा सकती है।

ANNEXURE-1

यदि मूल लाईसेंस राशि ......X.... हो तो वार्षिक लाईसेंस राशि निम्नवत होगा।

लाईसेंस वर्ष	मूल देय राशि	उन्नयन राशि
1	X	–
2	X	–
3	X+10%	X का 10%
4	X+10%	–
5	X+20%	X का 20%

यदि लाईसेंस की अवधि पाँच वर्ष के पश्चात्अगले पाँच वर्ष के लिए विस्तारित की जाती है तो पाँचवे वर्ष की देय राशि छठे वर्ष के लिए मूल राशि मानी जायेगी एवं उसके पश्चात् प्रति दो वर्ष में 10% वृद्धि होगी।

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची।

विषय :– .... (परिसम्पत्ति का नाम) का उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन का वित्तीय प्रस्ताव।

महाशय,

मैं .... (NGO/SHG का नाम) के प्राधिकृत व्यक्ति के अधिकार से .... (परिसम्पत्ति का नाम) के लिए माँगे गए इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित वित्तीय प्रस्ताव देता हूँ।

हम रू० .... (रू० ....) (शब्दों में) वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में प्रथम वर्ष के लिए अपना वित्तीय प्रस्ताव देते हैं।

उपर्युक्त वित्तीय प्रस्ताव सेवा कर रहित माना जाएगा।

द्वारा ....

(हस्ताक्षर)

यह प्राधिकृत अनुज्ञप्ति दिनांक ..../............/2016 को निम्न लिखित दो पक्षों द्वारा की जा रही है।

प्रथम पक्ष :

नाम अनुज्ञप्तिकर्त्ता झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (झारखण्ड सरकार का उपक्रम) द्वारा .... झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, विरसा विहार कम्पलेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची–834001.

द्वितीय पक्ष :

अनुज्ञप्तिधारी, श्री ....

....

....

सम्पत्ति :– झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० का इकाई ....

प्रथम पक्ष के द्वारा वर्णित सम्पत्ति को लाईसेंस के आधार पर पाँच वर्षों के लिए निविदा के आधार पर द्वितीय पक्ष को दिनांक .... के प्रभाव से संचालन हेतु आवंटित किया जाता है। दोनों पक्षों के सहमति के उपरान्त वर्णित सम्पत्ति का लाईसेंस अनुज्ञप्ति द्वितीय पक्ष को पाँच वर्षों की अवधि के लिए (जिसका विस्तार पुनः पाँच वर्षों के लिए सफल संचालन के मूल्यांकन के पश्चात् किया जायेगा) निम्नलिखित शर्त्तों के आधार पर दिया जाता है

1. वर्णित सम्पत्ति का लाईसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों के उपयोग हेतु दिनांक .... की तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए संचालन के लिए आवंटित किया जाता है।
2. वर्णित सम्पत्ति 'जहाँ है जैसे है' के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।
3. इस एकरारनामे के पन्द्रह दिन के भीतर वर्णित सम्पत्ति का उन्नयन हेतु Detail Project Report (DPR) निगम कार्यालय को समर्पित करना होगा।
4. DPR के स्वीकृति प्राप्त होने पर, एकरारनामें के तीन महीने के अन्दर उन्नयन कार्य पूर्ण करना होगा।
5. एकरारनामें के तीन महीने के पश्चात् से संचालन की अवधि का प्रारम्भ होगा जो दिनांक .... से मान्य होगा और अगले पाँच वर्षों तक चलेगा।
6. क. प्रथम वर्ष की लाईसेंस राशि के बराबर राशि का बैंक ड्राफ्ट रू० .... वर्णित सम्पत्ति उसके परिसर, उपलब्ध उपस्कर, उपकरण एवं विद्युत विपत्र के सिक्यूरिटी के मद में कुल रू० .... के रूप में जमा किया है।

   ख. द्वितीय पक्ष एकरारनामें के तीन महीने के अन्दर उन्नयन का कार्य पूर्ण करेगा।

   ग. एकरारनामें के तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष अगले प्रथम वर्ष का लाईसेंस फीस निगम को अदा करेगा।

   घ. अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक अवधि पाँच वर्षों की होगी जिसको प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के अधीन सभी प्रकार की भुगतेय राशि के भुगतान होने के उपरांत अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा, बशर्ते की कंडिका "क" एवं "ग" की तरह लाईसेंस की राशि एवं अन्य सिक्सूरिटी के मद में कुल राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त विस्तारित अवधि प्रारंभ होने के तीन माह पूर्व जमा कर दिया जायेगा।

   ङ. कंडिका 6 (घ) के अन्तर्गत लीज की अधिकतम विस्तारित अवधि कुल 10 (दस) वर्ष तक ही सिमित रहेगी।

   च. पर्यटकों हेतु Visitor Register उपलब्ध रखना होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझाव/शिकायत को नियमित रूप से निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

   छ. लाईसेंस की पाँच वर्षों की अवधि समाप्ति के पूर्व अनुज्ञप्तिकर्त्ता द्वारा किये गये संचालन के मुल्यांकन के आधार पर पाँच वर्षों के लिये लीज लाईसेंस के अवधि विस्तार की जायेगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लाईसेंस की राशि रू० .... (रू० ....) मात्र एक मुश्त प्रथम पक्ष को एकरारनामे के तीन महीने के अन्दर भुगतान करना होगा।
8. वार्षिक लाईसेंस की निर्धारित राशि के साथ अनुमान्य कर यथा सेवा कर इत्यादि भी देय होगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा लाईसेंस के तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित लाईसेंस की राशि जो प्रथम वर्ष की राशि से 10% (दस प्रतिशत) अधिक होगी अर्थात रू० .... (रू० ....) मात्र होगा। द्वितीय वर्ष की लाईसेंस अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व अर्थात् ....

.. तक जमा किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह के बीच की अवधि अर्थात् अनुज्ञप्ति अवधि के द्वितीय वर्ष की समाप्ति तक अग्रिम राशि जमा करने पर कोई सूद देय नहीं होगा और न ही कोई दण्डशुल्क लगेगा परन्तु उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह वाद अर्थात् द्वितीय वर्ष लाईसेंस की अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान करने पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से उक्त निर्धारित तिथि से ही दण्डशुल्क लगेगा एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लघंन को लेकर इस अनुज्ञप्ति पर शर्त्तों के अनुरूप अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी।

10. कंडिका 8 में वर्णित शर्त्तों के अनुरूप तृतीय, पाँचवे वर्ष में दिये जाने वाले लाईसेंस की राशि प्रथम वर्ष की लाईसेंस की राशि से क्रमशः 10%, 20% अधिक होगा का भुगतान द्वितीय पक्ष को एक मुश्त अग्रिम रूप से चालु लाईसेंस अवधि के 9वें माह अर्थात् प्रत्येक वर्ष के दिनांक .... तक झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में भुगतान करना होगा। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक लाईसेंस फीस ANNEXURE-1 के अनुरूप देय होगा।

11. यदि द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी निर्धारित अवधि तीन माह पूर्व अर्थात .... तक लाईसेंस की राशि का भुगतान प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची को नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

    क. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी का लाईसेंस प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा रद्द कर दिया जायेगा।

    ख. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा जमा सिक्यूरिटी राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

    ग. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा वर्णित सम्पत्ति में रखे सभी सामान एवं उपस्करों को जप्त कर लिया जायेगा।

    घ. नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रथम पक्ष द्वारा नये सिरे से निविदा निकालकर अथवा नये प्रक्रिया के माध्यम से किये गये बन्दोबस्ती अवधि के लिए देय लाईसेंस की राशि की वसुली द्वितीय प़क्ष अथ्रात लाईसेंसधारी से की जायेगी।

    ङ. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में भविष्य में भाग नहीं ले सकेगा।

12. प्रथम पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी आवंटित परिसर में किसी प्रकार की गैर कानूनी अथवा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

13. द्वितीय प़क्ष द्वारा आवंटित परिसर का उपयोग पूरी निष्ठा एवं प्रभावी नियमों के अनुरूप आवंटित अवधि के लिए किया जायेगा।

14. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के लिए उपस्करों, फरनीचर्स, बर्त्तन, कौकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा।

15. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा निध्ररित जगह को छोड़ कर अन्य किसी स्थान पर द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथावा किसी प्रकार का प्रचार–पटल नहीं लगाने दिया जायेगा।

16. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा अपने खर्च पर वर्णित सम्पत्ति के परिसर क`जल निकासी, पानी के पाईप, बिजली के तारों, बिजली आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थाओं का नियमपूर्वक अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेगा।

17. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में वर्णित सम्पत्ति में सभी प्रकार के सैन्द्रर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य अपने खर्च पर करेगा।

18. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा भवन एवं परिसर को दो वर्ष पर मेन्टेंन किया जाएगा तथा भवन/परिसर के अन्दर–बाहर प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित पेन्ट आदि से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दो वर्ष पर रंगाई–पोताई कराया जाएगा।

19. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति या उसके परिसर में एडिशन एवं अल्टरेशन प्रथम पक्ष की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा।

20. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी लाईसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा, दंगा, आग एवं अन्य असावधानी के कारण आवंटित वर्णित सम्पत्ति या उसके परिसर या इस परिसर में अवस्थित प्रथम पक्ष या किसी अन्य की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति की पूर्ण भरपाई जो प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा, एक सामान्य समय सीमा के अन्दर जिसे भी प्रथम पक्ष द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा, अपने खर्च पर करेगा।

21. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी कंडिका 19 के आलोक में प्राकृतिक आपदा, दंगा, आग एवं अन्य असावधानी से हुई क्षति की प्रतिपुर्ति हेतु अपने खर्च पर बीमा करवायेगा एवं बीमा की प्रिमीयम की राशि द्वितीय पक्ष नियमित रूप से वहन करेगा।

22. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर के पूर्ण अथवा किसी भाग को सबलेट करने का अधिकार बिना प्रथम पक्ष की लिखित पूर्वानुमति के नहीं होगा।

23. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० और उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर में कोई प्रतिबंधित व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है या नही ंके निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

24. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति में स्वच्छता का ध्यान रखा जायेगा।

25. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

26. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी एवं उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा पर्यटकों के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा।

27. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा पर्यटकों अथवा ग्राहकों को उपलब्ध करायी गयी खाद्य पदार्थ एवं/अथवा सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० यथोचित कार्रवाई करेगा।

28. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर के लिए अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से संचालन के पूर्व अपने नाम पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेगी। तत्संबंधि विद्युत आपूर्ति से संबंधित विपत्रों को द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान से संबंधित सूचना प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को नियमित रूप से समर्पित करेगा।

29. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति के लाईसेंस आदि के शुल्क/शुल्कों का भुगतान संबंधित विभाग/संस्थान को नियमानुसार किया जायेगा।

30. स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये होल्डिंग टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा की जायेगी एवं समानुपातिक राशि द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी से प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० नियमित रूप से प्राप्त करेगा।

31. वर्णित सम्पत्ति के साथ आवंटित परिसर में विद्युत हेतु स्टैंडबाई व्यवस्था स्वरूप जेनेरेटर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी।

32. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी वर्णित सम्पत्ति को अपने खर्च पर आवश्यकतानुसार वातानुकूलित करेगा।

33. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी आवश्यकतानुसार बार के संचालन के लिए बिना प्रथम पक्ष की अनुशंसा के उत्पाद विभाग, झारखण्ड सरकार से लाईसेंस प्राप्त नहीं करेगा।

34. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा बार संचालन विधि सम्मत एवं नियमानुसार किया जायेगा।

35. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी किसी प्रकार का बकाया बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिकॉवरी एक्ट के प्रावधानों के तहत् सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित होगा।

36. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी लाईसेंस अवधि के समाप्ति के उपरान्त आवंटित वर्णित सम्पत्ति को उसी अवस्था में सुपूर्द करेगे जिस अवस्था में प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को दिया जायेगा।

37. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा लाईसेंस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में वर्णित सम्पत्ति का संचालन नहीं करेगा।

38. वर्णित सम्पत्ति के लाईसेंस की निर्धारित अवधि के पश्चात् द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा वर्णित सम्पत्ति एवं वर्णित सम्पत्ति के परिसर को खाली नहीं किये जाने वाले अवधि तक प्रथम पक्ष अर्थात

झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को पेनल्टी के रूप में लाईसेंस का दस गुणा राशि देना होगा।

39. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्त्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सुचना के आधार पर प्राप्त किये गये वर्णित सम्पत्ति के संचालन हेतु लाईसेस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें सजायाफ्ता होने की जानकारी मिलने पर प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को नोटिस के उपरांत लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा जमा किये गये सिक्सूरिटी डिपोजिट को जप्त कर लिया जायेगा।

40. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस के एकरारनामें से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन कराना पड़ेगा।

41. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को 6 (छः) माह के नोटिस अथवा 6 (छः) माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान कर एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुज्ञप्ति से बाहर आने का अधिकार होगा।

42. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित रखे गये कार्मिक प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के कर्मिक नहीं कहलायेंग। द्वितीय पक्ष को यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधिनस्त रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित आर्हताएँ पूरा करेंगे। इसकी पुरी जवाबदेही द्वितीय पक्ष की ही होगी।

    द्वितीय पक्ष श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रवधानों का कठोरता से पालन करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी

43. एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी वर्णित सम्पत्ति का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

44. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार का पत्राचार उपरोक्त पते पर ही करेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा पता बदले जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को निश्चित् रूप से लिखित सूचना देगी। अन्यथा इसके अभाव में प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व पते पर किए गए पत्राचार को “DUE COMMUNICATION” समझा जायेगा।

45. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० लाईसेंस कर्त्ता एवं द्वितीय पक्ष अर्थात लाइसेंसधरी के बीच किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की अवस्था में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० आबिट्रेटर होंगे। उनका निर्णय आरबिट्रेशन एण्ड रि–कॉन्सीलियेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

46. लाईसेंसधारी परिसम्पत्ति के बोर्ड, प्रचार, प्रसार समग्री में झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के नाम एवं लोगो (Logo) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।

गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित दोनों पक्षों ने एकरारनामें के प्रथम पृष्ट पर उल्लिखित प्रतिनिधियों द्वारा आज दिनांक .... को इस एकरारानामें पर हस्ताक्षर किया।

प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची द्वारा .... झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची।

गवाह

1.

2.

द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी श्री ....

गवाह

1.

2.